

19.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

